राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सिमरखिया तहसील पचपदरा, पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

मुकदमा नम्बर – 343 /2018

प्रार्थीगण :–

1. दौलाराम पुत्र लालाराम जाति मेगवाल निवासी गुडा राईका तहसील लुणी जिला जोधपुर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. राणाराम पुत्र चुनाराम, मेगवाल
2. गोरीदेवी पत्नि माधोसिह
3. अर्जुनसिंह पुत्र माधोसिंह
4. भोपालसिंह पुत्र माधोसिंह
5. डूंगरसिंह पुत्र माधोसिंह
6. मांगी पत्नि देरामसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सिमरखियां पुरोहितान
7. लतिफ खां पुत्र जमे खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी खनोडा
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश दिनांक : 25.05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार जसोल में पेश हुई प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा सिमरखिया के खेत खसरा न0 896/248 रकबा 06.08 बीघा तहसील पचपदरा में स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 07 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है, प्रार्थीगण के खेत के पडोसी होने के कारण अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

~~दो पक्षों के सहमति पर~~ अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता थोब को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व

(भागीरथ राम)
अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.........

Scanned by CamScanner